RAEBARELI POLICE

दिनांक 18 फरवरी 2025 **थाना बछरावां**

टप्पेबाजी व चोरी करने वाले गिरोह के 07 सदस्य चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 16.02.2025 को वादिनी रत्ना देवी पुत्री कृष्ण मोहन गुप्ता ने थाना बछरावां पर प्रा0पत्र देकर बताया कि वह दिनांक 11.02.2025 को ऑटो में बैठकर विद्यालय पढाने जा रही थी, उसी दौरान चार महिलाओं ने अपने पुरुष साथियो के साथ योजनाबद्ध तरीके व सामान्य आशय रखते हुये उक्त आटो को रुकवाकर उसमे बैठकर उसको गलफत में डालकर उसका मंगलसूत्र अपने पुरुष साथियो की मदद से चोरी करके टैम्पो के पीछे चल रही स्कार्पियो मे बैठकर भाग गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-0070/2025 धारा-303(2)/318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित कर प्रयास किया जा रहा था।

इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को थाना बछरावां पुलिस टीम द्वारा व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा तकनीकी साधनों का उपयोग करके मुखबिरखास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-0070/2025 धारा-303(2)/318(4)/317(2)/ 3(5) बीएनएस के 07 वांछित अभियुक्तगण 1. अच्छे कुमार सोनकर उर्फ अक्षय पुत्र बाबूलाल 2. धर्मेन्द्र पुत्र मुन्ना 3. अमरजीत पुत्र बिहारी 4. संगीता पत्नी पंचम 5. किरन पत्नी राहुल 6. कु0 आंचल पुत्री अमरजीत 7. अनीता पत्नी धर्मेन्द्र को चोरी के सामान के साथ थाना क्षेत्र के शेषपुर समौधा चौराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

अपराध करने की तरीकाः- हम सभी लोग योजना बनाकर भोली भाली अमीर महिलाओं को गफलत में डालकर उनके गले में पड़ी चेन और मंगलसूत्र चोरी करते है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम अपनी स्कोर्पियों से ऑटो में बैठी महिला का पीछा करने लगे और ऑटो को अपनी स्कोर्पियो गाडी से क्रास करके आगे निकलकर खैरहनी मोड़ पर स्कोर्पियों रोककर हम चारों महिलाएं स्कोर्पियों से उतरकर खैरहनी कट पर खड़े हो गये। बछरावां की तरफ से आ रहे उस ऑटो को जिसमें वह महिला बैठी थी। हमने हाथ देकर रूकवाया। और रूकवाकर हम चारों महिलाएं उस महिला को घेरकर उस ऑटो में बैठ गयी। ऑटो में बैठी महिला का ध्यान भटकाने के लिए आंचल ने उस महिला के पैर पर पैर रखा तथा किरन ने उसके चुटकी काटी। एवं अनीता उससे एक पता पूछने लगी। जिससे महिला का ध्यान भटक गया। फिर मैने धोखे से उसके गले में पहना मंगलसूत्र बड़ी सफाई से चोरी कर लिया। वह महिला सिक्काखेड़ा मोड़ कुन्दनगंज पर उतर गयी। कुन्दनगंज चौराहा से लगभग 100 मीटर दूरी पर एक होटल के सामने हम चारो महिलाएं भी उतर गयी। और उस रेस्टोरेन्ट से सुनीता ने आशा तम्बाकू भी खरीदा था। बनायी गयी योजना के अनुसार ऑटो के पीछे पीछे स्कोर्पियो से चल रहे 1.अच्छे कुमार सोनकर उर्फ अक्षय 2.धर्मेन्द्र 3.अमरजीत होटल पर आकर रुक गये। फिर हम सब स्कोर्पियों में बैठकर वहां से निकल गये थे। आज हम लोग वापस अपने घर लौट रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. अच्छे कुमार सोनकर उर्फ अक्षय पुत्र बाबूलाल सोनकर निवासी पटना चौराहा चिल्लूपार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. धर्मेन्द्र पुत्र मुन्ना निवासी रसूलपुर बेलकुंडा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. अमरजीत पुत्र बिहारी निवासी गडेरी पट्टी चुनहवा थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़
4. संगीता पत्नी पंचम निवासी नरायनपुर नागनाथपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर
5. किरन पत्नी राहुल निवासी गुरैनी थाना शाहगंज जनपद जौनपुर
6. कु0 आंचल पुत्री अमरजीत निवासी गडेरी पट्टी चुनहवा थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़
7. अनीता पत्नी धर्मेन्द्र निवासी रसूलपुर बेलकुंडा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त धर्मेन्द्र –

1. मु0अ0सं0 162/2011 धारा 41/109 द0प्र0सं0 थाना जियनपुर जनपद आजमगढ

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त अच्छे कुमार सोनकर उर्फ अक्षय

1.मु0अ0सं0 903/2020 धारा 188/269 भा0द0वि0 व 3 महामारी अधिनियम 1897

अपराधिक इतिहास - अभियुक्ता संगीता

1. मु0अ0सं0 481/2020 धारा 8/22 NDPS ACT थाना कोतवाली जनपद जौनपुर
2. मु0अ0सं0 99/2019 धार 379/411 भा0द0वि0 थाना शिवरतन गंज जनपद अमेठी
3. मु0अ0सं0 691/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर, अम्बेडकर नगर
4. मु0अ0सं0 723/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर, अम्बेडकर नगर

अपराधिक इतिहास - अभियुक्ता अनीता

1.मु0अ0सं0 453/2019 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी:-

01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु बजन 05.910 ग्राम

02 अदद एण्ड्राइड मोबाइल

घटना मे प्रयुक्तशुदा एक अदद स्कार्पियो रंग सफेद नं0 UP32MN 8395

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 पंकज कुमार त्यागी थाना बछरावां जनपद रायबरेली
2. निरीक्षक विजेन्द्र शर्मा प्रभारी एसओजी टीम जनपद रायबरेली
3. उप-निरीक्षक अभिजीत विश्वकर्मा थाना बछरावां जनपद रायबरेली
4. उप-निरीक्षक अंकुर दुबे थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली
5. उप-निरीक्षक नितिन कुमार थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली
6. उप-निरीक्षक नियाजी हुसैन थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली
7. उप-निरीक्षक श्री शेखर बालियान सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
8. मुख्य आरक्षी श्री समर सिंह सर्विलाँस/एसओजी टीम रायबरेली ।
9. मुख्य आरक्षी श्री अमित सिंह सर्विलाँस/एसओजी टीम रायबरेली।
10. मुख्य आरक्षी चालक श्री अरुण सिंह सर्विलाँस/एसओजी टीम रायबरेली ।
11. आरक्षी श्री प्रशांत तिवारी सर्विलाँस/एसओजी टीम रायबरेली ।

12.आरक्षी श्री विकास पाण्डेय सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
13.आरक्षी श्री सुरेश वर्मा सर्विलाँस/एसओजी टीम रायबरेली ।
14.आरक्षी श्री संदीप यादव सर्विलाँस/एसओजी टीम रायबरेली।
15.आरक्षी श्री अभय चौधरी सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली ।
16.आरक्षी श्री गोविन्द कुमार सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली ।
17. आरक्षी श्री संतराज यादव थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली
18.आरक्षी श्री शिवचरन पाल थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली
19.महिला आरक्षी राखी थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली
20.महिला आरक्षी रुबी पाण्डेय थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली

मीडिया सेल रायबरेली